(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1559–तीन/2009 – विरूद्व आदेश दिनांक 17–9–2009 पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना – प्रकरण कमांक 158/2006–07 अपील

नवल सिंह उर्फ सीताराम पुत्र सोनेराम
ग्राम खिरावली तहसील व जिला मुरैना ———आवेदक

विरूद्व

1– रामस्वरूप पुत्र कोक सिंह गुर्जर
2– कोक सिंह पुत्र सोनेराम
ग्राम सिरवली तहसील मुरैना ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 14 – 9 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के प्र.क. 158/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–9–2009 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व0 ओछेलाल के नाम ग्राम खिरावली में कुल किता 4 कुल रकबा 5 वीघा 7 विसवा भूमि थी जिनकी मृत्यु उपरांत राजस्व निरीक्षक मुरैना ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 6 पर

आदेश दिनांक 26—01—1998 से नवल सिंह एंव कोक सिंह का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने प्रकरण कमांक 34/1997—98 अपील में पारित आदेश दिनांक 21—6—2001 से राजस्व निरीक्षक मुरैना काआदेश दिनांक 26—01—1998 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित हुआ। तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर कमांक 20 अ—6/2000—01 पर पॅजीबद्व करते हुये नायव तहसीलदार मुरैना ने पक्षकारों की सुनवाई की । नायव तहसीलदार ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 5—1—2002 पारित किया तथा उक्तांकित भूमि के हिस्सा 1/2 भाग पर बसीयतग्रहीता रामस्वरूप का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मुरेना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मुरेना ने प्रकरण कमांक 17/2001—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 22—1—2007 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 158/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—9—2009 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 21—6—2001 से हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, किन्तु नायव तहसीलदार ने आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का समुचित

अवसर नहीं दिया। नायव तहसीलदार ने प्राकृति न्याय के सिद्वांतों का उल्लॅघन करके आदेश दिनांक 5—1—2002 पारित किया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने एंव अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है । आवेदक की साक्ष्य एंव सुनवाई तहसील न्यायालय में कराई जावे, जिससे आवेदक को न्याय मिल सके। उन्होंने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 17—9—2009 में दिये गये विवरण के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश में निम्नानुसार विवेचना कर निष्कर्ष निकाले है :—

> " नायव तहसीलदार ने अपीलार्थीगण की साक्ष्य लिये जाने हेतु पेशियॉ नियत की है और साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार—बार समय दिया, किन्तु अपीलार्थीगण ने नायव तहसीलदार के समक्ष लेखी/मौखिक साक्ष्य के कथन नहीं कराये। अपीलार्थीगण व्दारा नायव तहसीलार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम —2 के आवेदन प्रस्तुत होने पर वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी करने हेतु भी पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु उन्होंने बचाव में न तो निगरानी की ओर से न ही लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत । अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। "

उक्त से यह समाधान हो जाता है कि नायव तहसीलदार न्यायालय में आवेदक को साक्ष्य एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 21—6—2001 से मामला पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है एंव उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है अब मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। नायव तहसीलदार मुरैना के आदेश

दिनांक 5—1—02 में , अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के आदेश दिनांक 22—1707 में तथा अपर आयुक्त, मुरैना संभाग के आदेश दिनांक 17—9—09 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 158/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—9—2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर